(b) The present data reporting system does not provide State-wise recovery of total bank credit. However, the recovery of direct-agricultural advances of public sector banks and Regional Rural Banks in Tripura as at the end of June, 1987 (latest available) was 41.0 percent and 28.6 percent respectively.

(c) No, Sir.

Recommendations made by State Governments to banks under SESRU

1898. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of recommendations made by the State Governments to the banks under Self Employment Programme for Registered Unemployed (SESRU) during the last three years, State-wise and year-wise;

(b) the amount of loans sanctioned by the banks to the applicants in different States, State-wise and year-wise; and

(c) the amount of loans disbursed alongwith the number of applicants who received the loans during the above mentioned period, State-wise and year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) Reserve Bank of India (RBI) has reported that as per its information "Self Employment Scheme for Registered Unemployed" is a scheme of the State Government of West Bengal for providing assistance to unemployeds registered with employment exchanges in the age group of 18 years to 40 years. Minimum educational qualification for beneficiary has not been prescribed. Under the scheme, a Composite loan not exceeding Rs. 35,000/- is admissible per beneficiary and subsidy at the rate of 25 per cent of loan is provided by the State Government. The loan is repayable in 5 to 7 yars and attracts interest as per RBI directive on interest rates. As this is a State sponsored scheme, the progress under the scheme is not monitored by RBI United Bank of India, convenor, State Level Banker's Committee (SLBC) for West Bengal has reported that a sum of Rs. 35.89 crores has been sanctioned in 19121 cases during the programme year 1988-89 under the scheme.

दिल्ली में यमुना विहार के थानाध्यक्ष द्वारा भूमि का अवैध रूप से बेचा जाना

1899. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के यमुना विहार थानाध्यक्ष श्री एस० एस० राठी ने ग्राम जौहरी पुर में दयाला आदि की भूमि को असामाजिक तत्वों की सांठ-गांठ से अवैध रूप से बेच दिया है और यह कि दिल्ली के एस०डी० एम० ने उक्त थानाध्यक्ष को भूमि सील करने तथा ग्राम समाज की भूमि हस्तांतरित किए जाने के पश्चात् इसे न बेचने के लिखित आदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेशों का उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यरो को सौंपने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों के पदों को भरा जाना

1990. श्री सुनील कुमार पट्टनायक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबलों की भर्ती के लिए

500 पदों को केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के लिए एक विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है परन्तु अनुसूचित जातियों के लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है जबकि सरकार के आदेश के अनुसार पदों के लिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त पदों को भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आमंत्रित करने का विचार रखती है ताकि कोई भी आरक्षित पद रिक्त न रहे ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक आमंत्रित किये जाने की सँभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) और (ग) दिल्ली में कांवस्टेबल के पद के लिए अनुसूचित जाति की रिक्तियों का कोई बकाया नहीं है, इसलिए केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों से ही आवेदन मांगे गए हैं, जिससे कि उस श्रेणी की रिक्तियों का बकाया, जो कि लगभग 500 हैं, पूरा किया जा सके ।

दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध शिकायतें

1901. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त को गत 3 वर्षों के दौरान पद का दुरुपयोग करने, रिश्वत लेने आदि के संबंध में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस प्रकार प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित शिकायतों को निचले स्तर पर दबाया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शिकायतों के संबंध में तथ्यों का पता लगाने तथा इस मामले में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस से न करवाकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1 जनवरी, 1986 से 25 जुलाई, 1989 के दौरान दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा को दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के खिलाफ 1,01,833 शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) शिकायतें मुख्यत: पुलिस की ज्यादतियों, शक्ति का दुरुपयोग, निष्क्रियता तथा भ्रष्टाचार के बारे में थी । विभाग ने निम्न प्रकार से कार्रवाई की :

1.	आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलों/इकाईयों को भेजी गई शिकयतों की सख्या	82088
2.	उन शिकायतों की सख्या जिन पर जिलों/इकाइयों से रिपोर्ट भेजने को कहा गया ।	17859
3.	उन शिकायतों की संख्या जिन पर सतर्कता जांच की गई ।	1886

290 मामलों में आरोपों को सही पाया गया । इन मामलों पर अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की गई ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) शिकायतों पर सतर्कता विभाग द्वारा पर्याप्त रूप में जांच की गई है ।